गोवरधन बनाम राज0 सरकार

फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

गोवरधन बनाम राज0 सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट मु0नं0– /2024

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2024	पत्रावली पेश हुई। जवाब स्टेट प्राप्त। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 2493, 2494, 2612 एवं 2613 स्थित है। तथा उक्त भूमि की मिसल संवत 2067 के खाता संख्या 416 में ख0न0 2493, रकबा 0.01 है0, ख0न0 2494 रकबा 0.82 है0, ख0न0 2612 रकबा 0.01 है0 ख0न0 2613 रकबा 0.17 है0, किता 4 कुल रकबा 1.01 है0 की खातेदारी पून्या कैलाश पि0 किशनलाल, सांवली पत्नी स्व0 किशनलाल, हि0 1/2, तथा गोवरधन पुत्र हरसहाय, मूली पत्नि स्व0 हरसहाय हि0 1/2 दर्ज था लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान गलत तरीके से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गोवरधन पुत्र हरसहाय के स्थान पर मुथरा पुत्र गोवरधन जाति मीना का नाम अंकित कर दिया जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गलत तरीके से गोवरधन पुत्र हरसहाय के स्थान पर मुथरा पुत्र गोवरधन का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया गया है उसे दुरूस्त कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में पूर्ववर्ती रिकॉर्ड अनुसार गोवरधन पुत्र हरसहाय का नाम दर्ज किया जावे। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर तहसीलदार सिकराय एवं पटवारी हल्का सिकराय की जांच रिपोर्ट भी संलग्न है। मुताबिक जांच रिपोर्ट सिकराय ग्राम सिकराय की मिसल संवत 2067 के खाता संख्या 416 में ख0न0 2493, रकबा 0.01 है0, ख0न0 2494 रकबा 0.82 है0, ख0न0 2612 रकबा 0.01 है0 ख0न0 2613 रकबा 0.17 है0, किता 4 कुल रकबा 1.01 है0 की खातेदारी पून्या कैलाश पि0 किशनलाल, सांवली पत्नी स्व0 किशनलाल, हि0 1/2 राहिन एस0बी0बी0जे0 शाखा सिकराय मुर्त, तथा गोवरधन पुत्र हरसहाय, मूली पत्नि स्व0 हरसहाय हि0 1/2 जाति मीना सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम सिकराय की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 378 में उपरोक्त खसरा नंबरान की खातेदारी पून्या कैलाश पि0 किशनलाल सांवली पत्नि स्व0 किशनलाल हि0 1/2, मुथरा पुत्र गोवरधन हि0 1/4, मूली पत्नि हरसहाय जाति मीना सा0देह के नाम दर्ज कर दी गई। खाता संख्या 378 में सेग्रीगेशन के दौरान सहवन से गोवरधन पुत्र हरसहाय जाति मीना के स्थान पर मुथरा पुत्र गोवरधन जाति मीना का नाम अंकित कर दिया गया। तत्पश्चात ग्राम सिकराय के नामान्तकरण संख्या 783 (विरासत) नि0 दि0 06.12.2022 से मुथरा पुत्र गोवरधन की विरासत मदनलाल रामजीलाल पि0 मुथरा कौशल्या पुत्री मुथरा चेनबाई पत्नि स्व0 मोदी नथोली छोटेलाल पि0 मोदी मल्ली देवी लाली देवी पुत्रिया मोदी के नाम दर्ज कर दी गई जो आज दिनांक तक बदस्तूर कायम है। आज दिनांक को ग्राम सिकराय की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 378 में बिन्दु संख्या 3 अंकित खातेदारान सहवन से हुई त्रुटि के कारण राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तूर कायम है जिनके नाम हजफ कर मिसल संवत 2067 के खाता संख्या 416 के अनुसार खातेदार गोवरधन पुत्र हरसहाय जाति मीना का नाम पुनः प्रविष्ट किया जाना उचित होगा। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	

गोवरधन बनाम राज0 सरकार

उक्त पटवारी हल्का रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार कर ग्राम सिकराय के खाता संख्या 378 में सहवन से त्रुटिपूर्वक दर्ज हुए मुथरा पुत्र गोरवधन एवं उनके समस्त वारिसान के नाम के इन्द्राज को हजफ कर गोवरधन पुत्र हरसहाय जाति मीना का नाम मुताबिक मिसल संवत 2067 के खाता संख्या 416 के अनुसार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)